

डिक्री बमुकदमें ईब्दाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या- 188 /2019

नरेन्द्र कौर पत्नी सलविन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सुरेवाला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़

----वादीया

बनाम

सलविन्द्र सिंह पुत्र श्री बचन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सुरेवाला तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

----प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा, आर.ए.एस. के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुन्दनलाल, वकील वादीया
मिन जामिन मुदई श्री भरत कुमार शर्मा, प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश
होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादीया चक नम्बर 5 एस.
आर.डब्ल्यू. के प0न0 215/267 (2) कि0न0 3 से 8, 13, 14, 18/2.277 है0
कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी का नाम कलमजन होगा।
इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 19-08-2019 को खुले
न्यायालय में जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी